न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/52/2021	2021/94	02.07.2021	30.04.2024

1. रामदयाल सिंह पुत्र बिशन सिंह राजपूत, निवासी ग्राम होदायली, तहसील राजगढ, जिला अलवर, राजस्थान।
2. भवंर सिंह पुत्र बिशन सिंह राजपूत मृतक।

2/1. रामसिंह दत्तक पुत्र भवंर सिंह, निवासी ग्राम होदायली, तहसील राजगढ, जिला अलवर, राजस्थान।

3. राधेश्याम सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह राजपूत, निवासी ग्राम होदायली, तहसील राजगढ, जिला अलवर, राजस्थान।
4. दौलत सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह राजपूत, निवासी ग्राम होदायली, तहसील राजगढ, जिला अलवर, राजस्थान।

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार राजगढ जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 23.03.2021 नायब तहसीलदार राजगढ प्रकरण संख्या 82/2021।

उपस्थितः–

01. श्री गणपत सिंह नरूका —वकील अपीलाण्ट्स
02. राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार राजगढ के निर्णय दिनांक 23.03.2021 प्रकरण संख्या 82/2021 जिसके द्वारा संवत 2077 में ग्राम होदायली तहसील राजगढ की आराजी खसरा न0 270 रकबा 0.45 है0 किस्म बारानी प्रथम में से 0.15 है0 भूमि पर सरसों तथा 0.30 है0 पर गेंहू की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने पर बेदखली की कार्यवाही से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि तहत अदालत में उपस्थित होकर अपीलान्ट ने अपना जबाव पेश कर निवेदन किया कि मिन अपीलान्ट को नोटिस गलत तथ्यों के आधार पर बिना कोई मौका निरीक्षण किये मात्र पटवारी हल्का की खिलाफ मौका रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है। उक्त आराजी खसरा न0 270 रकबा 0.45 है0 वाके ग्राम होदायली तहसील राजगढ अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी है जिस पर अपीलान्ट अपने पूर्वजो के समय से आज तक काबिज चला आ रहा है। अपीलान्ट ने उक्त आराजी पर कोई नाजायज अतिक्रमण नहीं किया है राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

से नोटिस जारी किया गया है। उक्त आराजी कभी भी सिवायचक नहीं रही है काबिल काश्त है और अतिक्रमी की तारीफ में नहीं आता है बेदखल करने की कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्ट की ओर से अपने नोटिस का जवाब देने तथा वास्तविक तथ्यों से अधीनस्थ न्यायालय को सूचित करने के बाबजूद आलोच्य निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.03.2021 को पारित किया जिस पर अब दिनांक 15.06.2021 अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी हुई की दिनांक 23.03.2021 को निर्णय कर दिया गया है व बेदखली के आदेश पारित किये हैं। जानकारी होने पर दिनांक 17.06.2021 को नकल प्राप्त की जिसे वकील साहब को दिखाया तो वकील साहब ने अपील करने की सलाह दी जिस पर खर्चे का इंतजाम करके यह अपील इल्म की तारीख से अंदर अवधि पेश की जा रही है, मियाद की छूट के लिए दफा 05 मियाद अधिनियम के अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आकर कोई पैमाइश नहीं की गई ना ही मौका निरीक्षण किया गया और ना ही आराजी की सीमा ज्ञान किया गया है और अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुए अतिक्रमण करना माना गया है जिस रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 82/2021 दर्ज किया गया और दिनांक 23.03.2021 को उक्त प्रकरण का निस्तारण करते हुए अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए बेदखली के आदेश पारित कर दिये गए हैं कि जिस निर्णय से असंतुष्ट होने के कारण यह अपील पेश की जा रही है जो कि निम्न आधारों पर स्वीकार की जाकर निर्णय तहत अदालत अपास्त होने योग्य है। अपीलान्ट एक गरीब व्यक्ति है अपीलाण्ट को उसकी आराजी से जबरन बेदखल करना चाहते हैं अपीलान्ट ने तहत अदालत से भी निवेदन किया था कि विवादित भूमि अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि है लेकिन तहत अदालत ने अपीलान्ट के निवेदन पर कोई गौर नही किया जो अब काबिल गौर श्रीमान है। तहत अदालत ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिए बिना तथा अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिए बिना निर्णय पारित कर दिया है। जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होने के कारण निर्णय तहत अदालत निरस्त होने योग्य है निरस्त फरमाया जावे। तहत अदालत ने अपीलान्ट को अतिक्रमी मानने में भी गलती की है क्योंकि अपीलान्ट उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार है तथा इस बाबत पत्रावली पर कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं हैं जिससे अपीलान्ट अतिक्रमी साबित हो लेकिन निर्णय में अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने के आदेश प्रदान किया है, यह विधि विरूद्ध है इसलिए निर्णय तहत अदालत निरस्त होने योग्य है निरस्त फरमाया जावे। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय तहत अदालत नायब तहसीलदार राजगढ के निर्णय दिनांक 23.03.2021 बसिलसिले प्रकरण संख्या 82/2021 निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया, साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष की बहस के बिन्दुओं पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट द्वारा बार–बार इस चीज की पुनरावृति की गई कि आराजी खसरा नं0 270 रकबा 0.45 है0 हमारी खातेदारी की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रिकॉर्ड का मिलान किया गया। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ग्राम होदायली आराजी नं0 270 रकवा 0.45 है0 किस्म बारानी प्रथम मंदिर मूर्ति श्री नृसिंह जी महाराज के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। ऐसी भूमियों के संबंध में कार्यवाही करने हेतु राजस्व (ग्रुप–6) विभाग परिपत्र क्रमांक 3(2)राज–6/2007/पार्ट/5 जयपुर दिनांक 12.09.2018 के बिन्दु संख्या–5 में राज्य सरकार द्वारा ''मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाए जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही इस प्रकार करेंगे जैसे कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमी के विरूद्ध करते हैं तथा मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षण हेतु दायित्वाधीन होंगे। जिला कलक्टर मूर्ति मंदिर की भूमि सम्बंधी अतिक्रमण रिपोर्ट सिवायचक/चारागाह भूमि की तरह राजस्व कर्मियों से नियमित रूप से प्राप्त कर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत उनके प्रकरण दर्ज कर तदनुसार प्रभावी निस्तारण करेंगे'' के निर्देश जारी किए गए हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिवत सुनवाई की जाकर बेदखली का आदेश दिनांक 23.03.2021 पारित किया गया है। जो उचित है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने से अस्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अ0 जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)